<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u> वित्त विभाग

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए आय कर परिकलन के प्रयोजन के लिए विवरण

यह परिपत्र हमारे परिपत्र संख्या BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (07)/2023 दिनांक 06.12.2023 के संदर्भ में है जिसके माध्यम से भा मा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों/पेंशनर्स को 15.12.2023 तक निर्धारित प्रोफार्मा (F 48 सेवारत कर्मचारियों के लिए और F 48A पेंशनभोगी के लिए) में अपनी बचत के ब्यौरे प्रस्तुत करने का अन्रोध दिया गया था।

इस संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि प्रपत्र 16 को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों द्वारा देखने के लिए online कर दिया गया है | आप सभी से ये अनुरोध है कि अपना अपना फॉर्म 16 चेक कर ले ताकि कोई विसंगति अगर हो तो उसको ठीक किया जा सके | इसके अतिरिक्त फॉर्म 16 के अनुसार अपनी बचत के प्रमाण पत्र अगर अभी तक वित विभाग को जमा नहीं कराएं है तो कृपया या तो ईमेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से 22 जनवरी 2024 तक जमा करा दें अन्यथा उन बचत विवरणों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और आय कर की पुन: गणना की जाएगी और तदनुसार जनवरी/फरवरी 2024 के वेतन से आय कर की कटौती की जायेगी ।

> हस्ता (गुरप्रीत सिंह) निदेशक (वित्त)

हमारा संदर्भ: वित्त/2.37/आय कर/2023-24 दिनांक : 1**8.**01.2024

इंट्रानेट के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो के सभी अधिकारीगण/ कर्मचारीगण/ पेंशनर्स को सूचनार्थ एंवम अनुपालन हेत् परिचालित

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के इंट्रानेट पर रखने के लिए

BUREAU OF INDIAN STANDARDS (FINANCE DEPARTMENT)

SUBJECT: PARTICULARS FOR THE PURPOSE OF INCOME TAX CALCULATION FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24

This has reference to our circular Number BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (07)/2023 dated 06.12.2023 vide which all employees/pensioners of BIS, were requested to furnish the particulars of their savings in the prescribed Proforma (Form 48 for serving employees and Form 48A for pensioners) by 15th December 2023.

In this regard, it is stated that the form 16 has been made live (online) for viewing by the employees/pensioners. All officials of BIS are requested to check Form 16 so that if there is any discrepancy, it can be rectified. Further, if proof of savings as per Form 16 have not yet submitted to the Finance Department, please submit the same either through email or hard copy by **22nd January 2024** otherwise those savings details will not be taken into account and income tax will be recalculated and accordingly income tax will be deducted from the salary of **January/February 2024**.

SD/-(Gurpreet Singh) Director (Finance)

Our Ref: FIN/2.37/Income Tax/2023-24 दिनांक : 18.01.2024

Circulated through BIS Intranet to all Officers/Staff/Pensioners of BIS – for information and compliance

Copy to: ITSD - for uploading on BIS Intranet